न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 2020/00161

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थी :–

1. पांचाराम पुत्र पन्नाराम जाति माली निवासी आसोप
2. गणपतराम उर्फ गुलाबराम पुत्र दयालराम
3. दयालराम पुत्र बुदरराम उर्फ उदाराम जाति मेघवाल निवासी आसोप तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर

बनाम

1. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः–12/07/2021

प्रार्थीगण वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया तथा अपनी ओर से निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी पुश्तैनी कब्जासुद भूमि ग्राम लवारी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में खसरा नं. 5/18 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक संलग्न पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लवारी की सरहद में आई हुई है जिसके खसरा नं. 5/18 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नं. 5/24 रकबा 1.6187 हैक्टेयर, खसरा नं. 5/8 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि है लेकिन वर्तमान में नयी तरमीम करते वक्त उक्त भूमि खसरा नं. 5/18 व 5/8 के बीच में रास्ते के रूप में सरकारी भूमि दर्ज कर दी जो कि गलत है। प्रार्थीगण के दोनों खेत खसरा वर्तमान में चिपते हुवे है तथा पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि के बीच में रास्ता दर्शाया गया है जो कि गलत तरमीम है क्योंकि उक्त भूमि पर वर्तमान में दर्शाया गया रास्ता कभी भी नही था। वादग्रस्त आराजी के खसरा नं. 5/18 व 5/8 के बीच व खसरा नं. 5/35 व 5/24 के बीच दर्शाया गया रास्ता वर्तमान में न तो चालू हालत में है और न ही कभी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग किया गया है जो कि गलत तरमीम कर दी गयी है जो तरमीम निरस्त योग्य है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 5/[illegible] के बीच में दर्शाया गया रास्ता गलत तरमीम है लेकिन हाल ही में की गयी तरमीम में इन दोनों खसरों के बीच जो रास्ता दर्शाया गया है, नयी तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण की [illegible] अतः प्रार्थीगण ने ग्राम लवारी की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 5/[illegible] 5/8 के मध्य दर्शाया गया रास्ते की तरमीम को निरस्त करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार भोपालगढ़ की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 5/8, 5/24 में पटवारी हल्का लवारी की रिपोर्ट दिनांक 05.04.2021 अनुसार लैण्ड रिकार्ड एवं मॉडराईजेशन डीआईएलआरएमपी प्रोग्राम के तहत इन खसरों की तरमीम की गई जो की वर्तमान में मौकानुसार गलत है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नं. 5/18 व 5/8 के बीच व खसरा नं. 5/35 व 5/14 के बीच दर्शायी गयी रास्तानुमा तरमीम गलत है। मौके पर वर्तमान में रास्ता न तो चालू हालात में है और न ही कभी रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग किया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थनापत्र मौकानुसार सही है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 5/8, 5/18 के बीच में दर्शाया गया रास्तानुमा तरमीम गलत है। तरमीम दुरूस्त करने योग्य है। पटवारी हल्का लवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 5/18 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खसरा नं. 5/24 रकबा 2.4281 हैक्टयेर मौका अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है। उक्त तरमीम दुरूस्ती से खसरा नं. 5/25 रकबा 8.8059 के दो टुकड़े होंगे जो सरकारी राजकीय भूमि है, जिनका जमाबंदी में रकबा क्रमशः 5.9430, 2.8629 हैक्टेयर होगा और खसरा नं. 5/25 की तरमीम भी मौकानुसार दुरूस्त होगी। खसरा नं. 5/8 व 5/24 अलोटमेन्ट भूमि है। नामान्तरकरण की पुश्त पर नजरी नक्शा नही है। अतः मौकानुसार तरमीम दुरुस्त किया ज़ाना उचित है।

हमने पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र, अप्रार्थी तहसीलदार भोपालगढ़ के जवाब प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया। बहस प्रार्थीगण वकील पर मनन किया। तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा की गयी तरमीम दुरूस्ती की अनुशंसा के आधार पर तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश देना हम उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी पटवार मण्डल लवारी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा के आधार पर एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार तहसीलदार भोपालगढ़ को खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी पटवार मण्डल लवारी की रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ का जवाब प्रार्थनापत्र निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 12/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.08.05 16:24:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)